Unit - IV
इनमें से एक प्रश्न पूछा जायेगा

RCR. 2011

(3) माध्यमिक विद्यालयों के लिए नागरिकशास्त्र का पाठ्यक्रम निर्माण करते समय आप किन सिद्धान्तों पर ध्यान केन्द्रित करेंगे ?
On what principles will you concentrate while making curriculum in Civics for Secondary School ?

or

नागरिकशास्त्र की पाठ्यवस्तु का चयन एवं संगठन करते समय किन-किन सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिए ? विवेचना कीजिए ।
What principles to be born in mind while sellecting and Organising the subject-matter of Civics ? Discuss.

Scanned with CamScanner

सभी विषयों के सफल शिक्षण में पाठ्यक्रम निर्धारण का बहुत बड़ा हाथ होता है। मुनरो का विचार, "पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है।" इससे यह स्पष्ट है कि शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का उचित निर्धारण आवश्यक होता है। पाठ्यक्रम के निर्धारण के लिए विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत व्यक्त किये हैं। पाठ्यक्रम का उद्देश्यों छात्रों का चतुर्मुखी विकास करना, उनकी रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करना, सत्यता, ईमानदारी सद्भावना आदि सामाजिक गुणों को सिखाना और उनकी अन्तर्निहित शक्तियों का विकास करना एवं उन्हें अच्छा नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करना होता है। इस कारण शिक्षण में पाठ्यक्रम का विशेष महत्व है। छात्र विषय में चाहे जितनी अभिरुचि क्यों न रखना हो, जितना अधिक योग्य क्यों न हो, यदि पाठ्यक्रम ही अच्छा नहीं है तो छात्र को विषय समझना एक अत्यन्त कठिन कार्य है। अतएव विद्वानों ने विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम के निर्धारण के लिए अनेक सिद्धान्तों का उल्लेख किया है। इन सिद्धान्तों में प्रमुख हैं—(1) जीवन से सम्बन्धित होने का सिद्धान्त, (2) उपयोगिता का सिद्धान्त, (3) रचनात्मक कार्य का सिद्धान्त, (4) अनुभवों की पूर्णता का सिद्धान्त, (5) विविधता और लचीलेपन का सिद्धान्त, (6) सामुदायिक जीवन से सम्बन्ध का सिद्धान्त, (7) अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धान्त और (8) एकीकरण और समन्वय का सिद्धान्त।

नागरिकशास्त्र के पाठ्यक्रम निर्माण के सामान्य सिद्धान्त

(Basiec Principles of the Construction of Curriculum of Civics)

नागरिकशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके पाठ्यक्रम का निर्माण करना अत्यन्त कठिन कार्य होता है। नागरिकशास्त्र के अध्ययन के द्वारा हमारा प्रतिदिन का जीवन विद्यालय अध्ययन के अन्तर्गत लाया जाता है। यह एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा बालक का प्रत्यक्ष रूप से समाजीकरण करने का प्रयास किया जाता है। नागरिकशास्त्र बालक को वास्तविक जीवन का विभिन्न परिस्थितियों में स्वयं अपने अनुभवों को निर्मित करने के हेतु तत्पर करता है। वह बालक के सामाजिक जीवन एवं वातावरण की स्वच्छता के लिए प्रयास करता है, और इस कारण नागरिकशास्त्र के पाठ्यक्रम का निर्धारण करना एक अत्यन्त कठिन कार्य है। नागरिकशास्त्र के पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय निम्नलिखित सिद्धान्त को ध्यान में रखना चाहिए।

Scanned with CamScanner

(1) **प्रेरणा का सिद्धान्त** (Principle of Motivation)—नागरिकशास्त्र का पाठ्यक्रम प्रेरणादायक होना चाहिए। यदि नागरिकशास्त्र का पाठ्यक्रम छात्रों को तो सीखने के लिए प्रेरित नहीं करता तो वह पाठ्यक्रम बेकार ही सिद्ध होता है और इसके अध्ययन से छात्र अपने वांछित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाता। पाठ्यक्रम उस समय तक प्रेरणा नहीं प्रदान कर सकता जब तक वह छात्रों की योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुसार न हो। वही पाठ्यक्रम छात्रों की प्रेरणा प्रदान करता है जो उनकी योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुसार बनाया जाता है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम मनोविज्ञान पर आधारित भी होना चाहिए। यदि पाठ्यक्रम ऐसा नहीं है तो छात्र उसमें कोई रुचि नहीं लेते और तब प्रेरणा का प्रश्न ही नहीं उठता। मनोविज्ञान पर आधारित पाठ्यक्रम छात्र को क्रिया द्वारा शिक्षण प्राप्त करने के हेतु प्रेरित करता है अन्यथा छात्र कक्षा में केवल एक श्रोता मात्र रह जाता है। इससे कार्य से उनका जी ऊब जाता है और छात्र एवं विद्यालय के मध्य एक गहरी दरार पड़ जाती है जो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाती। अतएव यह आवश्यक है कि नागरिकशास्त्र का पाठ्यक्रम मनोविज्ञान पर आधारित हो। वही पाठ्यक्रम छात्रों को प्रेरणा प्रदान कर सकता है जो उनकी योग्यता, क्षमता और रुचि के अनुसार हो तथा उसमें मनोविज्ञान के सिद्धान्तों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया हो।

(2) **व्यापकता का सिद्धान्त** (Principle of Broadness)—नागरिक शास्त्र का पाठ्यक्रम अत्यन्त व्यापक होना चाहिए। इसमें सभी बातों का समावेश किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम पुस्तकों, कक्षा एवं पुस्तकालयों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। केवल कक्षा शिक्षण तक जो पाठ्यक्रम सीमित रहता है उससे बालकों को विषय की पूर्ण जानकारी नहीं हो पाती। पाठ्यक्रम में नागरिकशास्त्र का ज्ञान संपूर्ण शैक्षणिक वातावरण में अर्जित कराने की योग्यता होनी चाहिए।

नागरिकशास्त्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि किसी धर्म या किसी मत पर उससे आँच आवे। उसे छात्रों को योग्य नागरिक बनाने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम में उन सभी विषयों का समावेश किया जाना चाहिए जो छात्रों को योग्य नागरिक बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। नागरिकशास्त्र के पाठ्यक्रम में नागरिकों के कर्तव्यों, अधिकारों, राज्य के प्रति उनका उत्तरदायित्व और देश-प्रेम एवं विश्व-बन्धुत्व की भावना उत्पन्न करने वाले सभी विषय रखे जाने चाहिए, तभी नागरिकशास्त्र के पाठ्यक्रम से छात्रों को वास्तविक लाभ प्राप्त हो सकेगा।

(3) **जीवन से सम्बन्धित होने का सिद्धान्त** (Principle of Linking With Life)—नागरिकशास्त्र का पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से जीवन से सम्बन्धित होना चाहिए। छात्र उसी विषय में अधिक रुचि लेते हैं जो जीवन से सम्बन्धित कर दिया जाता है। इस कारण नागरिकशास्त्र के पाठ्यक्रम को जीवन से सम्बन्धित अवश्य होना चाहिए।

(4) **उपयोगिता का सिद्धान्त** (Principle of Utility)—ऐसा ज्ञान जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं होता है वह बेकार हो जाता है। अतएव नागरिकशास्त्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि वह जीवन में उपयोगी सिद्ध हो। छात्रों को ऐसा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए जिसे व्यावहारिक जीवन में

Scanned with CamScanner

लाभकारी रूप में प्रयोग में लाया जा सके। जो पाठ्यक्रम उपयोगी होगा, छात्रों को उसमें स्वाभाविक रूप से रुचि उत्पन्न हो जाएगी तभी वे पाठ्यक्रम को आसानी से आत्मसात कर सकेंगे।

(5) **क्रिया का सिद्धान्त** (Principle of activity)—नागरिकशास्त्र के पाठ्यक्रम में क्रिया के सिद्धान्त को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। बालक जो कार्य करके सीखते हैं उससे उन्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतएव पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि बालक स्वयं कार्य करके ज्ञान की प्राप्ति करें। यदि पाठ्यक्रम बालकों को सक्रिय बनाने में सक्षम नहीं होता तो विद्यार्थियों की उसमें अभिरुचि नहीं रह जाती और इस स्थिति में नागरिकशास्त्र का शिक्षण अत्यन्त कठिन हो जाता है। यही कारण है कि शिक्षाशास्त्रियों का कहना है कि पाठ्यक्रम में (Four'H') 'चार एच' की अवश्य स्थान मिलना चाहिए 'चार एच' से उनका तात्पर्य हैं—Hand (हाथ), Heart (हृदय), Head (मस्तिष्क), एवं Health (स्वास्थ्य) इन चारों की शिक्षा बालकों को अवश्य दी जानी चाहिए क्यों कि बालक प्रकृति के अनुसार क्रियाशील होता है और उसे क्रियाशील बनाये रखना भी चाहिए।

(6) **लोकतांत्रिक सम्बन्धों का सिद्धान्त** (Principle of democratic con:ept)—पाठ्यक्रम लोकतंत्र के सिद्धान्तों पर आधारित भी होना चाहिए क्योंकि आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है। लोकतन्त्र की सफलता देश के नागरिकों पर ही निर्भर करती है। आज का छात्र कल का नागरिक होगा और इस कारण पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए कि छात्र अच्छे नागरिक बन सके। लोकतन्त्र में सहयोग, सहानुभूति, सहिष्णुता, ईमानदारी, समानता आदि बातें यदि दिखलाई पड़ती हैं तो कोई राष्ट्र तेजी से उन्नति करता है। अतएव पाठ्यक्रम में इन भावनाओं को उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए।

(7) **संरक्षणता एवं हस्तान्तरण का सिद्धान्त** (Principle of preservation and transmission)—प्रत्येक समाज की अपनी अलग संस्कृति होती है। उसकी अपनी परम्पराएं, अपने रीति-रिवाज और अपनी मान्यताएं होती हैं। नागरिकशास्त्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि वह परम्पराओं, रीति-रिवाजों को बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो और इस प्रकार सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने वाला हो। पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि वह प्रचलित मान्यताओं को आगे आने वाली पीढ़ी को बताने वाला हो जिससे कि हमारी संस्कृति की रक्षा हो सके।

(8) **समन्वय का सिद्धान्त** (Principle of co-relation)—अपने जीवन में हम जिस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं वह किसी न किसी प्रकार एक दूसरे से सम्बन्धित होता है। यह सब शारीरिक और मानसिक रचनाओं के फलस्वरूप होता है। पाठ्यक्रम निर्माण शारीरिक और मानसिक रचना के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम इस प्रकार का बनाया जाना चाहिए कि वह विभिन्न ज्ञानों में सम्बन्ध स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो। इससे ज्ञान सरल, सुगम और स्पष्ट हो जाएगा। नागरिकशास्त्र के पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ज्ञान की अन्य शाखाओं से समन्वय स्थापित किया जा सके।

Scanned with CamScanner

पाठ्य-वस्तु का चयन एवं संगठन
(Selection and Organisation of Subject-Matter)

नागरिकशास्त्र के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि इसमें पाठ्यक्रम का चयन और संगठन दोनों ही अत्यन्त पेचीदे कार्य हैं और इनको सम्पन्न करने के लिए अध्यापक में अत्यधिक सूझ-बूझ की आवश्यकता है। यदि अध्यापक की पहुँच (Approach) प्रत्यक्ष और वास्तविक नहीं है, तो वह बाल मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञाता नहीं है और समाज की गतिविधियों से भली-भाँति परिचित नहीं है तो वह न तो पाठ्यवस्तु का चयन ही उचित रूप से कर सकता है और न उसका संगठन ही।

पाठ्यवस्तु का चयन
(Selection of Subject Matter)

पाठ्यवस्तु का चयन करते समय लगभग उन्हीं सिद्धान्तों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है जिनका उल्लेख हमने पाठ्यक्रम निर्धारण के सम्बन्ध में किया है। संक्षेप में हम पाठ्य-वस्तु के चयन में ध्यान रखने योग्य बातों का उल्लेख कर रहे हैं।

(1) **क्रिया का सिद्धान्त** (Principle of Activity)—शिक्षाशास्त्रियों का मत है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में 4 'एच' (H) को स्थान दिया जाना चाहिए—स्वास्थ्य (Health), हाथ (Hand), हृदय (Heart), और मस्तिष्क (Head)। इन सभी की शिक्षा बालकों को प्रदान की जानी चाहिए। प्रयोजनवादियों का कहना है कि पाठ्यक्रम के विषय में यह बात विशेष रूप से उचित प्रतीत होती है। पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि 'छात्रों को अपने मस्तिष्क और हाथ दोनों का प्रयोग करना पड़े।' 'करके सीखने' से बालक वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करता है। जूनियर स्तर तक का पाठ्यक्रम तो मुख्य रूप से क्रिया प्रधान ही होना चाहिए। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर मस्तिष्क से सम्बन्धित पाठ्यक्रम पर अधिक बल देने की आवश्यकता है परन्तु साथ ही क्रिया की अवहेलना नहीं कर देनी चाहिए। बालकों को सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से सामाजिक व्यवहार में परीक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

(2) **विविधता का सिद्धान्त या सूचनाप्रद एवं वर्णनात्मक** (Informative and Descriptive)—नागरिकशास्त्र की पाठ्य-वस्तु के चयन में विविधता के सिद्धान्त को ध्यान में रखा जाना चाहिए। विभिन्न स्तरों की पाठ्य-वस्तु का चयन अलग किया जाना चाहिए। प्रारम्भिक स्तर की पाठ्य-वस्तु मुख्यतया सूचनाप्रद एवं वर्णनात्मक होनी चाहिए जिससे बालक अपने सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अभिरुचि ले सके। उच्च स्तर की पाठ्य-वस्तु को शनैः-शनैः आलोचनात्मक बनाया जाना चाहिए। चूँकि नागरिकशास्त्र के शिक्षण का उद्देश्य उत्तम नागरिकों का निर्माण है अतएव विषय का आलोचनात्मक ढंग से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

(3) **औपचारिकता का सिद्धान्त** (Principle of Formality)—नागरिकशास्त्र के पाठ्यक्रम में उसी पाठ्य-वस्तु को रखा जाना चाहिए जिससे छात्रों में ऐसी

Scanned with CamScanner

वाली सन्ततियों को उसे प्रदान कर सकें। परन्तु औपचारिकता के सिद्धान्त को उच्च स्तर के छात्रों के लिए नागरिकशास्त्र की पाठ्यवस्तु के चयन में ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि इस स्तर पर छात्रों की बुद्धि काफी परिपक्व हो चुकी होती है और वे पर्याप्त विचार-विमर्श एवं आलोचना कर सकते हैं। नागरिक समस्याओं का औपचारिक अध्ययन उसी समय उचित होगा जब कि छात्र जीवन के विभिन्न रक्षों के सम्बन्ध में कुछ अनुभव प्राप्त कर सकें।

(4) **चयन का सिद्धान्त** (Principle of Selectivity)—पाठ्यवस्तु के चयन में चयन के सिद्धान्त को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन के मुख्य तथ्यों को ही चुना जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में ऐसे ही विषयों और सूचनाओं आदि को चुना जाना चाहिए जो सामाजिक जीवन की व्याख्या और स्पष्टीकरण करते हैं। चयन की आवश्यकता इसलिए भी है कि नागरिकशास्त्र का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है और यदि इस शास्त्र से सम्बन्धित सभी बातों का सभी स्तर के छात्रों के लिए रख दिया जायगा तो समस्त पाठ्यक्रम को समाप्त करना अत्यन्त कठिन हो जायगा। दूसरी बात यह है कि चयन की आवश्यकता इसलिए है कि हमारे समाज की संस्कृति जिसका निर्माण विभिन्न समुदाय और संस्थाओं ने किया है, अत्यन्त जटिल है। छात्रों को जब तक चुनी हुई बातो को नहीं बतलाया जायगा तब तक वे अपने समाज, समुदाय एवं संस्थाओं के बारे में कुछ भी नहीं समझ सकेंगे।

(5) **लोकतन्त्रीय सिद्धान्त** (Democratic Principle)—पाठ्यक्रम को सम्म लोकतन्त्रीय जीवन की स्वीकृत मान्यताओं को प्रतिबिम्बित करना चाहिए और पाठ्यवस्तु का चयन इस प्रकार से होना चाहिए कि लोकतन्त्रीय समाज की स्थापना में सहायक प्राप्त हो। लोकतन्त्र, व्यक्तिवाद, समष्टिवाद, अनुदारवाद और प्रगति एवं शक्ति और स्वायत्तता का मार्ग निकालने का प्रयास करता है। इन बातों का नागरिकशास्त्र को पाठ्यवस्तु के चयन में ध्यान चाहिए।

(6) **लचीलेपन का सिद्धान्त** (Principle of Flexibility)—पाठ्यवस्तु के चयन में लचीलेपन के सिद्धान्त को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मानव-जीवन में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। नागरिकशास्त्र की पाठ्यवस्तु इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह इन परिवर्तनों के अनुसार अपने को ढाल ले। यदि पाठ्यक्रम कठोर होगा तो समय के साथ मेल न खाएगा। यदि नागरिकशास्त्र के पाठ्यक्रम में नवीन अनुभवों के लिए स्थान नहीं होगा तो शिक्षा के उद्देश्य की हो प्राप्त न हो पाएगी। फलस्वरूप पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए।

(7) **उपयोगिता का सिद्धान्त** (Principle of Utility)—नागरिकशास्त्र की पाठ्यवस्तु के चयन में उपयोगिता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्हीं तथ्यों का चयन किया जाना चाहिए जो उपयोगी हों। यदि पाठ्यक्रम में अनेक तथ्यों की भरमार कर दी जाती है तो छात्र की अभिरुचि उसमें नहीं रहती। अतएव पाठ्यवस्तु के चयन में उपयोगिता को ध्यान में रखना आवश्यक है।

(8) **रुचि का सिद्धान्त** (Principle of Interest)—नागरिकशास्त्र की पाठ्यवस्तु के चयन में छात्रों की रुचि भी ध्यान में रखना आवश्यक है। उन्हीं तथ्यों का चयन किया जाना चाहिए जो उन की रुचियों एवं वृत्तियों के अनुकूल हों। पाठ्यक्रम बाल-केन्द्रित होना चाहिए और रोचक विषयों को ही उसमें स्थान दिया

Scanned with CamScanner

जाना चाहिए। यदि पाठ्यवस्तु रुचिकर नहीं होती तो छात्र कुछ भी लाभ नहीं उठा पाते।

(9) **निकटवर्ती एवं केन्द्रीय विकास का सिद्धान्त** (Principle of Nearness and Concentric Grrowth)—इस सिद्धान्त को पाठ्यवस्तु के चयन में ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पहले उन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए जो छात्रों के समीपवर्ती हैं। फिर क्रमशः उनसे दूर के तथ्यों को स्थान दिया जाना चाहिए। जैसे कि एक केन्द्र के विभिन्न अर्धव्यासों के द्वारा खींचे गये वृत्तों में क्षेत्र का ही अन्तर होता है उसी प्रकार नागरिकशास्त्र की पाठ्य सामग्री का चयन करते समय बालक को केन्द्र मानकर विभिन्न विषयों की सूची बनाई जानी चाहिए। उदाहरण के लिए बालक को सबसे पहले परिवार के विषय में बताया जाना चाहिए जिसके कि वह अत्यधिक समीप हो और जिसमें वह सदैव रहता है। फिर क्रमशः पड़ोस, ग्राम, नगर, जिला और विश्व में बताया जाना चाहिए। यदि छात्रों को नागरिकशास्त्र में पहले राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के विषय में बतलाया जाता है और तत्पश्चात् उन्हें ग्राम, पड़ोस आदि की शिक्षा दी जाती है तो बालक को ठीक से समझ नहीं सकते।

तथ्यों का संगठन
(Organisation of the Subject-Matter)

पाठ्यवस्तु के चयन के बाद उसके संगठन की ओर ध्यान देना आवश्यक होता है। नागरिकशास्त्र की पाठ्यवस्तु के संगठन में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है—

(1) पाठ्यवस्तु के संगठन में एकीकरण के सिद्धान्त पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि नागरिकशास्त्र की पाठ्यवस्तु को इस प्रकार से संगठित किया जाना चाहिए कि उसका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि अन्य सामाजिक विज्ञानों से सम्बन्ध स्थापित किया जा सके। साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक कक्षा का पाठ्यक्रम दूसरी कक्षा में लाभदायक सिद्ध हो।

(2) नागरिकशास्त्र की पाठ्यक्रम के संगठन में उन ठोस परिस्थितियों को आधार बनाया जाना चाहिए जिनमें बालक रह रहा है। पाठ्यक्रम का सम्बन्ध इस प्रकार से हो कि बालक घर तथा पड़ोस से नागरिकशास्त्र की शिक्षा प्रारम्भ करे, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीयकरण से नहीं।

(3) नागरिकशास्त्र की पाठ्यवस्तु के संगठन में भी व्यक्तिगत विशेषताओं, रुचियों, प्रवृत्तियों, योग्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए और उसका संगठन इस प्रकार से होना चाहिए कि वह छात्रों की कुशलता में वृद्धि करे।

(4) नागरिकशास्त्र की पाठ्य-सामग्री का संगठन इस प्रकार से होना चाहिए कि छात्र शिक्षा के स्थानान्तरण के लाभों से वंचित न रह जाएँ। इसका तात्पर्य यह है कि उसको ग्रहण करके दूसरे विषयों के ज्ञानार्जन में उससे सहायता ली जाय।

Scanned with CamScanner